Special Issue
"(Global Partnership: India's Collaboration Initiatives for Economic and Social Growth)"

सतत् विकास लक्ष्य एवं भारत

Dr. Akhtar Husain[1*] and Dr. Maya Bharti[2]

[1] Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. Girls Degree College, Ahiraula, Azamgarh, Uttar Pradesh, India

[2] Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. Raza P. G. College, Rampur, Uttar Pradesh, India

Correspondence Author: Dr. Akhtar Husain

सारांश

संसाधनो का कुशलता पूर्वक उपयोग जिससे कि वर्तमान पीढ़ियो के साथ–साथ भावी मानव पीढ़ियो को भी प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो सके, अर्थात अपने आवश्यकताओ से समझौता किये बिना आने वाली पीढी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत् विकास हैं। सतत् विकास के केन्द्र में समाजिक न्याय एवं समावेशन तथा पर्यावरण संरक्षण है। इस विकास के माध्यम से आर्थिक विकास, समाजिक कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहत्राब्दी विकास लक्ष्यों अपनाया गया तथा 2015 तक इन लक्ष्यो को हासिल करने की इच्छा व्यक्त गई थी। इसका उददेश्य मानवता की बुनियादी जरूरतों– भोजन, वस्त्र, आवास, रोजगार, की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना तथा गरीबों के जरूरतों पर ध्यान देना । इसमें मुख्यत; प्राथमिक शिक्षा, जैंडर समानता, मातृत्व में सुधार, बाल मृत्यु दर में सुधार, तथा पर्यावरणीय विकास आदि बिन्दु शामिल है। चूंकि वर्ष 2015 तक की अवधि समाप्त हो चुका था और अभी भी वैश्विक समस्याएं विद्यमान थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2016 से 2030 तक के लिए 17 नए बिंदुओं के अंतर्गत संधारणीय विकास लक्ष्यो को स्वीकार किया गया हैं,। जिसका उददेश्य सतत् तथा समावेशी विकास को प्राप्त करना है। भारत तथा वैश्विक स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यो की प्राप्ती के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ एवं पर्यावरणीय नीतियो तथा अधिनियमो के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके इन प्रयासो में अधिक तीव्रता तथा गंभीरता की जरूरत है।

मूलशब्दः यू.एन.ओ, भौतिकतावादी, नवीकरणीय संसाधन सहत्राब्दी विकास, सतत् विकास, समावेशी विकास, जैंडर समानता

परिचय

वर्तमान में पूरे विश्व में मुख्य रूप से दो बातों पर बल दिया जा रहा है प्रथम – मनुष्य और प्रकृति के टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ना और दूसरा – मनुष्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को नए रूपों में किस प्रकार ढाला जाए। यह विचार 'सतत विकास' अनवरत विकास या अक्षय विकास की संकल्पना के रूप में व्यक्त होता है।

सतत विकास की संकल्पना 'विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग' (World Commission on Environment and Development, 1987) की देन है, जिसके अध्यक्ष ग्रो ब्रुटलैंड थे। इनके नाम पर इस आयोग के प्रतिवेदन को 'ब्रुटलैण्ड रिपोर्ट' कहते हैं। यह रिपोर्ट 'ऑवर कॉमन फ्यूचर' (हम सबका एक ही भविष्य) शीर्षक से प्रकाषित हुई थी, जिसमें यह संकेत किया गया था कि संसार में प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार नहीं है, तथा यह मांग की गई थी कि ''वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं इस ढंग से पूरी करनी चाहिए कि भावी पीढ़ियां अपनी आवश्यताएं पूरी करने में असमर्थ न हो जाएं।''

ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं पर बल देते हुए यह स्वीकार किया गया था कि विशाल मानवता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए विश्व स्तर पर निर्धनता का निराकरण जरूरी होगा। सतत विकास की संकल्पना के अन्तर्गत ऐसी रणनीतियों का पता लगाने की मांग की गई थी जो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा तो दे परन्तु पर्यावरण के द्वारा, अतिदोहन या प्रदूषण का कारण न बने। इसके लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने उपभोग में कटौती करे और अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का प्रयत्न करे। इसलिए महात्मा गांधी का शरीर–श्रम (Bread Labour) का सिद्धान्त सर्वथा प्रासंगिक है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर से इतना श्रम अवश्य करना चाहिए जिससे वह अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सके।

सतत विकास का तात्पर्य है– ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, गतिमान रहे। यह विकास अनन्त होता है। कोई भी विकास तभी निरंतर हो सकता है जब प्राकृतिक संसाधनों को कोई नुकसान न हो। इस प्रकार इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ (आर्थिक विकास) ही प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से (पर्यावरण संरक्षण) लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार पर बल दिया जाता है। आर्थिक वृद्धि के अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं की मात्रात्मक वृद्धि को मापा जाता है ताकि इससे लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सके। जबकि समावेशी विकास में वस्तुओं व सेवाओं तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। सतत विकास में समावेशी विकास अर्थात – सबका साथ, सबका विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया जाता है।

सतत विकास एक व्यापक अवधारणा है। कोई विकास सतत है या नहीं, यह जानने के लिए इसके मापदण्ड निर्धारित करना तथा उस पर विकास को मापना जरूरी है। सतत विकास को मापने हेतु प्रकृति

की सामर्थ्य क्षमता (Carrying Capacity) पर ध्यान देना होता है। पृथ्वी की सामर्थ्य क्षमता प्रकृति की सहनशक्ति को व्यक्त करना है। अर्थात पृथ्वी मानव की निरंतरता को बनाए रखने में कितनी सक्षम है, साथ ही विकास के दौरान उत्पन्न हुए मानवीय प्रदूषक तत्वों को कितनी आसानी से यह नियंत्रण कर पाती है। गांधी जी ने कहा था कि ''प्रकृति आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, परन्तु लालच नहीं (There is enough for need, not for greed)'' वर्तमान समय में विकास आवश्यकता व लालच के बीच फंस गया है। देशों ने लालच के वशीभूत होकर पर्यावरण संरक्षण को दरकिनार कर दिए हैं।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 2030 सतत् विकास हेतु एजेंडा' के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अर्थात एस डी जी (Sustainable Development Goals - SDGs) तथा 169 प्रयोजनों को स्वीकार किये गए।

जो निम्नवत है–

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
7. सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
8. सभी के लिए निरंतर समावेषी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
9. लचीले बुनियादी ढांचे, समावेषी और सतत् औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
11. सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव वस्तियों का निर्माण।
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।
14. स्थायी सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
15. सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव–विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
16. सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह पूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
17. सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

यू एन डी पी की निगरानी व संरक्षण में SDGs 2030 तक प्रभावी रहेंगे जो विश्व के 193 सदस्य देशों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर नजर रखेगी। यू एन डी पी का प्रमुख लक्ष्य इन देशों में गरीबी को खत्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्य तथा आर्थिक समानता प्राप्त करने हेतु प्रयास करना है, जिसमें सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग से कार्य कर रही है।

स्तत विकास एवं भारत

भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, जिनमें से कुछ निम्नवत है–

भारत को विषयगत नेटवर्क कार्यक्रम (TPN) के अन्तर्गत कृषि वनन और मृदा संरक्षण पर एशियाई क्षेत्र कार्यवाई कार्यक्रम के लिए राष्ट्र संघ कंवेषन टू कांवेट डेजर्टिफिकेषन (UNCCD) द्वारा मेजबान देश पदनामित किया गया है। UNCCD 1997 में अस्तित्व में आया था, जिसके सदस्य देशों का यह दायित्व है कि वे रेगिस्तानीकरण और सूखे से सम्बंधित समस्त मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य–योजना बनाए।

सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य इन्हें अर्जित करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 'इण्डिया इण्डेक्स' तैयार की जा रही है।

भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम तैयार किया और 2004 में नियमावली को अधिसूचित किया ताकि जैवविविधता कंवेषन के प्रावधानों को लागू किया जा सके। इस अधिनियम का कार्यान्वयन हेतु तीन स्तरीय संस्थागत ढांचा तैयार किया गया जिसमें – राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) सम्मिलित होंगे।

भारत ने 10 जून 1992 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कंवेषन (यू एन एफ सीसीसी) पर भी हस्ताक्षर किये और एक नवम्बर 1993 को इसकी पुष्टि की। यू एन एफ सी सी सी के अन्तर्गत भारत जैसे विकासशील देशों की वाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस (GHG) संबंधी प्रतिबद्धताएं नहीं है, पर अलग दायित्व और संबंधित क्षमता है। जैसा कि कोपेनहेगेन सम्मेलन में सहमति हुई थी कि – भारत ने कृषि क्षेत्र को छोड़कर वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2020 में GHGs की उत्सर्जन सघनता को कम करने के लिए अपनी स्वैच्छिक शमन कार्यवाईयों के बारे में यू एन एफ सीसीसी सचिवालय को सूचित करना था।

30 जून 2008 को जारी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन ए पी सी सी) में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की भारत की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

जैविक प्रदूषकों (पी ओपीज) पर स्टाकहोम कंवेषन 2001 में अपनाया गया था जिसका लक्ष्य पीओपीज से मानव स्वास्थ और पर्यावरण की रक्षा करना है, इसको 2006 में भारत ने लागू किया।

इसके अतिरिक्त भारत ने 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एन इ पी) अपनाई जो सतत विकास की भावना पर आधारित है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 को वनों, वन उत्पादों, इमारती लकड़ीयों और अन्य वन उत्पादों से संबंधित कानून को प्रभावी बनाया गया था।

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत एक मार्च 2002 को ऊर्जा सक्षमता व्यूरो (बीईई) का गठन किया।

2015 के बाद के विकास एजेंडा पर भारत का दृष्टिकोण

भारत ने सतत विकास की चुनौतियों एवं मुद्दों की पहचान करने एवं उन्हें हल करने हेतु ढांचा तैयार किया है। 2015 के बाद विकास एजेण्डा का मुख्य केन्द्र निर्धनता का उन्मूलन रखा, जिसे सबसे बड़ी

भूमण्डलीय चुनौती के रूप में रिओ G20 में चिन्हित किया गया था। विकास एजेंडा संवृद्धि केन्द्रित होना चाहिए जो विकासशील देशों में ठोस आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करे जो रोजगार परक हो। यह महत्वपूर्ण है कि 2015 के बाद के ढांचे को विकसित व विकासशील दोनों देशों पर लागू किया जाना चाहिए ताकि उत्तरदायित्वों और दायित्वों का अधिक समतापूर्ण समूह निर्मित हो सके। विकसित देशों में उपभोग के दोनों को उपयुक्त बनाना चाहिए। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। कृषि का सीधा संबंध उस पर निर्भर करोड़ों लोगों की आजीविकाओं से है और भारत को कृषि को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय नीति में व्यवधान के प्रयास का विरोध करना आवश्यक हो जाता है। ऊर्जा तक पहुंच विकास को सक्षम बनाती है। रियो G20 में टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच को सहायता देने हेतु प्रतिबद्धता थी। जेडर सशक्तीकरण, जेडर समानता और जेडर का मुख्य धाराकरण भूमण्डलीय विकास एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा तक सबकी पहुंच विकासशील देशों की मुख्य प्राथमिकता है। सुरक्षित पेय जल और बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच में वृद्धि करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा बड़ी जनसंख्या वाले देशों हेतु महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है।

ब्रिक्स राष्ट्र के रूप में भारत की भागीदारी तथा उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सतत विकास की चुनौतियों के रूप में निर्धनता, बुनियादी सेवाओं, ऊर्जा–भोजन, जल की असुरक्षाएं, तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण, पारिस्थितिक ह्रास और जैव–विविधता की क्षति, जलवायु परिवर्तन प्रभावों, प्राकृतिक विपदाओं और जोखिमों से असुरक्षा इत्यादि कारक बाधक बनी हुई है।

भारत एवं विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख यह समस्या बनी हुई है कि राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबन्धी मुद्दों को किस प्रकार एकीकृत या सामंजस्य बैठाया जाए। अतः वर्तमान में यह आवश्यक है कि विकास एजेंडा के लक्ष्य एवं उद्देश्य सार्वभौम होना चाहिए। वे ऐसे हो कि हमारे समाज के सभी तबकों पर लागू सके और टिकाऊपन की दिशा में तीव्र बदलाव हो सके। व्यवस्थित बदलाव दोनों स्तरों पर यानी विकास परिणामों की दृष्टि से और साधनों (जोखिमों की पहचान, मूल कारणों को हल करना, समावेशी एवं टिकाऊ विकास) की दृष्टि से होना चाहिए। इसका सम्बन्ध वर्तमान ढांचों (भौतिक और आर्थिक अवसंरचना), संस्कृति (मूल्यों, मानदंडों, प्रारूपों का सामूहिक समूह) और व्यवहारों से है।

मानव जीवन की स्वस्थ निरन्तरता के लिए पृथ्वी का स्वस्थ होना जरूरी है। जब पृथ्वी ही रोगी हो जायेगी तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। अतः आवश्यकता है कि हम ऐसे विकास मॉडल को अपनाएं जिससे आय बढ़े, संसाधनों की क्षमता बढ़े तथा अपशिष्ट न्यूनतम हो। विकास के हर पहलू में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करें। यदि आज हम विकास की उचित नीतियाँ नहीं बना पाए तो भावी पीढ़ी तक मानव जीवन को एक निश्चित निर्वाह के स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितिकी कायम नहीं रह सकेगी। अतः वैश्विक स्तर पर देशों को आपसी सहयोग करते हुए सतत विकास की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना आवश्यक है। साथ ही ऐसे कार्यतंत्र विकसित करना भी जरूरी है जो विभिन्न भूमण्डलीय समझौतों के अन्तर्गत अपनी–अपनी प्रतिबद्धताओं की दिशा में अलग–अलग राष्ट्रों के अनुपालन की मॉनीटरिंग को सुगम बना सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. World commission on Environment & Development, Our Common Future (New York, Oxford University Press 1987), p35.
2. World Bank, World Development Report 1992, Development & the Environmental (New York, Oxford University Press, 1992, p8.
3. एम.एल. झिंगन, ''विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन'' वृंदा पब्लिकेशन प्रा. लि.।
4. एस.एन. लाल एवं एस.के. लाल, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' शिवम् पब्लिशर्स।
5. आर. एस. टी. वी., Sustainable Development. विकास और भविष्य, फरवरी 15, 2018
6. समसामियकी पत्र–पत्रिकाएँ।
7. गूगल ब्राउजर।